सुविधा नहीं है। एस०टी०सी०, एस०के०ओ० के भण्डारण और वितरण के लिए मुख्य बंदरगाहों पर उपयुक्त भण्डारण सुविधाओं की व्यवस्था करने के बारे में विचार कर रहा है, बशर्ते कि उक्त प्रचालन आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।

व्यापार में उदारीकरण की सुविधाओं का दुरुपयोग

2794. **श्री ओ०पी० कोहली:** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार के ध्यान में व्यापार में उदारीकरण सुविधाओं के दुरुपयोग संबंधी अनेक मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ सरकारी नीतियां राष्ट्रीय हित से अधिक आयातकों एवं निर्यातकों के एक वर्ग के हितों का पोषण करती हैं;

(ङ) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन नीतियों को समाप्त करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने का विचार रखती है?

वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बोला बुल्ली रमैया): (क) से (ग) कुछ ऐसी शिकायतें मिली हैं जिनमें मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इन शिकायतों का संबंध बढ़ाकर बीजक देने और मूल्य की गलत घोषणा तथा निर्यातकों के प्रमाणिक होने के बारे में है। स्वर्ण/चांदी के आभूषणों वाले सामानों में की निर्यात संवर्धन और प्रतिपूर्ति योजना के उल्लंघन के कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है। तथापि, उल्लंघन और दुरुपयोग के ये मामले ऊपर उल्लिखित योजनाओं के अंतर्गत आने वाले मामलों की कुल संख्या की तुलना में छोटी संख्या में हैं।

दुरुपयोग का उल्लंघन की ऐसी शिकायतें मिलने पर इनकी तुरंत जांच की जाती है और उसके पूरा होने पर विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत ऐसे मामलों में दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है जहां जांच से ऐसी कार्रवाई न्यायसंगत सिद्ध हो जाती है। ऐसे मामलों में की जाने वाली कार्रवाई में लाइसेंस, आई ई कोड का निलम्बन, अर्थ दण्ड लगाया जाना इत्यादि शामिल है। निर्यात दायित्व को पूरा नहीं करने के मामले में उपयुक्त मूल्य के विशेष आयात लाइसेंस वापस करने के अतिरिक्त अप्रयुक्त आयातित सामान पर ब्याज सहित सीमा शुल्क वसूली के लिए कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (च) निर्यात और आयात नीति के प्रावधान सार्वजनिक हित को पूरा करने के लिए लागू किए जाते हैं और निर्यातों को बढ़ावा देना इनका उद्देश्य होता है। सरकार द्वारा लगातार प्रयास और एक्जिम नीति के उचित रूप से लागू किए जाने के परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान 18 से 21% के बीच वार्षिक निर्यात वृद्धि प्राप्त करना संभव होता रहा है।

Mishap in coal Mine

2795. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether there was a coal mine mishap recently in Dhanbad;

(b) if so, the details thereof with number of casualties;

(c) whether any comprehensive enquiry was conducted in the matter; and

(d) if so, the findings and the action taken on the report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRIMATI KANTI SINGH): (a) Yes, Sir.

(b) Due to unprecedented heavy rains of the order of over 300 mm on the night of 26/27.9.1995, the water level of Katri River in Dhanbad district overflowed the three embankments constructed for flood protection of Gaslitand underground mine of Bharat Coking Coal Limited (BCCL) resulting in the trapping of 64 workers inside the mine. A number of other mines of BCCL were also flooded claiming 77 lives including 64 of those trapped inside the Gaslitand mine.

(c) and (d) Under Section 24 of the Mines Act, 1952, the Government had constituted a Court of Inquiry headed by Justice (retd.) S.K. Mukherjee of Patna High Court to inquire into the causes and circumstances attending the accident which occurred at Gaslitand and other mines of BCCL on 26/27.9.1995. The Court of Inquiry is yet to submit its report.